

न्यायालय:- अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

समक्ष-डी०सी०थपलियाल

प्रकरण क्रमांक 10/14 वैवाहिक

मोहर सिंह पुत्र लक्षमण सिंह आयु 28
वर्ष जाति जाटव धन्धा मजदूरी, निवासी
गोरमी वार्ड नं०9, परगना गोरमी जिला
भिण्ड म०प्र०

-----आवेदक

बनाम

आशा सिंह पत्नी मोहर सिंह, आयु 27
वर्ष जाति जाटव धन्धा गृहकार्य निवासी
ग्राम नया घनश्यामपुरा वार्ड नं०3 गोहद
जिला भिण्ड म०प्र०

-----अनावेदक

आवेदक द्वारा श्री जी०एस०गुर्जर अधिवक्ता

अनावेदिका द्वारा श्री जी०एस०गुर्जर अधिवक्ता

//नि र्ण य//

// आज दिनांक को पारित किया गया //

- 1- आवेदकगण/याचिकाकर्तागण की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 13(ख)हिन्दू विवाह अधिनियम का निराकरण किया जा रहा है, जिसमें उभयपक्षकारों के द्वारा पारस्परिक सहमती के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री पारित किए जाने का निवेदन किया है।
- 2- सुविधा की दृष्टि से आगे के पदों में आवेदक मोहर सिंह को आवेदक क्रमांक 1 तथा आवेदिका आशासिंह को आवेदक क्रमांक 2 के रूप में संबोधित किया जाएगा।
- 3- वर्तमान याचिका आवेदकगण के द्वारा धारा 13(ख) हिन्दू विवाह अधिनियम का इस आशय का पेश किया गया है कि उनका विवाह हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दिनांक 20.04. 2008 को गोहद में सम्पन्न हुआ था। शादी के एक वर्ष तक दोनों ठीक से रहे, किन्तु इसके

बाद दोनों में मन-मुटाव होने लगा। आवेदिका क्रमांक 2 के पिता भोपाल में निवास करते हैं। वह अपने पिता के साथ भोपाल में रहने लगी तथा आवेदक क्रमांक 1 के पिता सबलगढ सर्विस करते हैं, इसलिए वह अपने पिता के यहाँ सबलगढ जिला मुरैना में रहने लगा। इस प्रकार से दोनों याचिका पेश होने के चार साल पूर्व से अलग-अलग रह रहे हैं, उनके पति-पत्नी के रूप में रहा जाना मुश्किल हो गया है और भविष्य में भी पति पत्नी के रूप में रहने की कोई संभावना नहीं है। भविष्य में दोनों का दाम्पत्य जीवन सुखमय भी नहीं रह सकता है, क्योंकि छोटी-छोटी बातों के उपर दोनों के विवाद बढ़ गए हैं और दोनों के विचार आपस में मेल नहीं खाते हैं। उनके कोई संतान आदि भी नहीं है। शादी के समय दिया गया सामान आदि वस्तुएं आवेदक क्रमांक 1 आवेदक क्रमांक 2 को वापस कर रहा है। उनका विवाह कस्बा गोहद में सम्पन्न हुआ था इस कारण न्यायालय को इस संबंध में क्षेत्राधिकार प्राप्त है। पारस्परिक सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री प्रदान किए जाने का निवेदन किया है।

4- न्यायालय के द्वारा धारा 13(ख) हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत परस्पर सहमती के आधार पर विवाह विच्छेद का आवेदनपत्र जो कि दिनांक 26.02.14 को पेश हुआ है। पक्षकारों को आपस में सुलह समझौता हेतु समय दिया गया और उनसे इस बावत् संभावना भी तलाशी गई, किन्तु याचिका पेश होने के 6 माह के उपरांत भी पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार की कोई सहमती नहीं पाई गई। उक्त याचिका के संबंध में आवेदक क्रमांक 1 मोहर सिंह और पक्षकार आवेदक क्रमांक 2 आशा सिंह के कथन लेखबद्ध किए गए उनके कथनों में भी स्पष्ट रूप से आया है कि वह दोनों काफी लम्बे समय से अलग अलग रह रहे हैं एवं उनका एक-दूसरे के साथ रहना संभव नहीं है, क्योंकि उनमें आपसी मन-मुटाव है और आपस में बनती नहीं है। उक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में भी स्पष्ट है कि उभय पक्षकार जिन्होंने कि आपसी सहमती के आधार पर विवाह विच्छेद की याचिका पेश की है के मध्य किसी प्रकार की कोई सुलह समझौता हो पाना या उनका एक साथ रह पाना संभव नहीं है।

5- उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में जब कि उभय पक्ष के द्वारा आपसी सहमती के आधार पर विवाह विच्छेद की याचिका पेश की है पक्षकारों की सहमति के परिप्रेक्ष्य में तथा प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए याचिका स्वीकार करते हुए इस संबंध में निम्न आशय की आज्ञा पारित की जाती है :-

1-पक्षकार आवेदक क्रं01 मोहर सिंह तथा आशा सिंह पक्षकार क्रं02 के मध्य दिनांक 20.04.2008 को सम्पन्न विवाह पारस्परिक सहमती के आधार पर विच्छेदित किया जाता है। पक्षकार वैवाहिक संबंधों एवं दायित्वों से मुक्त रहेंगे।

2-उभयपक्षकार अपनी याचिका का अपना अपना व्यय स्वयं बहन करेंगे।

3-अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर सूची मुताविक जो भी हो दी जावे।

तदनुसार आज्ञाप्ति तैयार की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित

हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी०थपलियाल)

अपर जिला जज गोहद

जिला भिण्ड

(डी०सी०थपलियाल)

अपर जिला जज गोहद

जिला भिण्ड